अध्याय- 2

वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य नीति

खंड 1 : धन की प्राप्ति

सामान्य

3. समस्त लेन-देन, जिसमें शासन का कोई भी अधिकारी शासकीय हैसियत से एक पक्ष है, बिना किसी देरी के शासकीय लेखे में लाने चाहिए।

4. शासन को देय एवं वसूल की गई धनराशियाँ या शासन के पक्ष में जमा की गई धनराशि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता में दिये गये नियमों के अनुसार कोषालय या बैंक में जमा की जाना चाहिए।

5. (1) (अ) संविधान के अनुच्छेद 284 के अधीन किसी अधिकारी के द्वारा प्राप्त अथवा उसके पास जमा की गई सभी धनराशियाँ जो राज्य के ऐसे कामकाज के लिये नियुक्त किया गया है राजस्व अथवा सार्वजनिक धन जो शासन द्वारा उत्पादित अथवा प्राप्त किया गया है, के अलावा, लोक लेखा में जमा करेगा।

(ब) राज्य सीमा के अन्दर किसी न्यायालय के पास जमा किया गया अथवा उसके द्वारा प्राप्त कोई धन भी उपनियम (1) के चरण (अ) के अनुसार व्यवहरित किया जायगा।

(2) लेखा शीर्ष जिसमें ऐसी राशियाँ जमा की जावेंगी तथा उसमें से निकाली जाने वाली राशियाँ, मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के संबंधित उपबंधों द्वारा अथवा ऐसे अन्य सामान्य या विशेष आदेशों से, जो कि इस संबंध में जारी किये जायें, द्वारा शासित होंगी।

राज्य की संचित निधि तथा लोक लेखा से धनराशि का आहरण

6. जब तक किसी विधि अथवा आदेश या नियम जिसका वैधानिक स्वरूप है, से अधिकृत न हो, वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बिना संचित निधि तथा लोक लेखा से विनियोग या अन्यत्र जमा करने हेतु राशि नहीं निकाली जा सकती है।

शासन स्पष्टीकरण

बिना शासकीय अनुमति के कार्यालय प्रमुखों द्वारा राज्य की संचित निधि से धन आहरित कर बैंक में पदनाम से खाता खोलने बाबत

शासन के ध्यान में यह बात आई है कि बिना शासकीय अनुमति प्राप्त किये, शासन के कतिपय कार्यालय प्रमुखों द्वारा बैंक में पदनाम से खाता खोलकर उसमें कोषालयों से धन आहरित कर जमा किया जाता है, जिसमें से चैक के मार्फत भुगतान किया जाता है। **म. प्र. कोष संहिता भाग 1 के नियम 7, 8 तथा 9 और सहायक नियम 284 तथा वित्त संहिता भाग 1 के नियम 6 के अनुसार शासकीय धन को कोषालय से आहरित कर अन्यत्र खाता खोलकर जमा करना स्पष्ट रूप से वर्जित है।**

उपरोक्त नियमों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह अपेक्षित है कि नियमों में उल्लिखित प्रावधानों का सभी कार्यालय प्रमुखों द्वारा कड़ाई से पालन किया जावे अन्यथा जैसा कि म. प्र. कोष संहिता भाग 1 के सहायक नियम 284 में स्पष्ट अंकित है, इस नियम के विरुद्ध कार्य के लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

[वित्त विभाग क्रमांक 284/571/नि.-5/चार/82, दिनांक 20-5-82]